न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

मु.न. 14 / 2017

प्रार्थीगण

1. तिलोका पुत्र प्रभु
2. नागा पुत्र प्रभु
   जाति पुरोहित निवासी ईटवाया तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. हीराराम पुत्र छोगाराम
2. वालाराम पुत्र छोगाराम
3. कोहलाराम पुत्र छोगाराम
4. सुजादेवी बेवा छोगाराम
5. अर्जुनराम पुत्र नागजी
6. ताराराम पुत्र नागजी
7. छगनादेवी बेवा नागजी
8. कृश्णचंद पुत्र नागजी
9. हकमाराम पुत्र तोगाजी
10. अर्जुनसिंह पुत्र किस्तुराजी
11. गंगादेवी पत्नी सोनाजी
12. जयसिंह पुत्र सोनाजी
13. नैनाराम पुत्र दलाराम
14. पैमाराम पुत्र दलाराम
15. भोपालसिंह पुत्र किस्तुराराम जातियान राजपुरोहित निवासी ईटवाया तहसील सिवाना जिला बाड़मेर
16. राजस्थान राज्य जरिये भूमि धारक तहसीलदार सिवाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: आदेश :–

दिनांक :– 21.03.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.04.09 13:51:53 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A रा.का.अ. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम इटवाया पटवार क्षेत्र पादरू तहसील सिवाना में खेत खसरा नम्बर 1325 रकबा 97–06 बीघा की आई हुई है। प्रार्थीगण के खेत के बदिशा पश्चिम–उत्तर में स्थित विप्रार्थीगण का खेत खसरा नम्बर 1321 रकबा 99 बीघा में से होते हुए आगे ईटवाया गांव से जालमपुरा (ढालु) जाने वाले सार्वजनिक कटाण रास्ता से मिलता है। इस मार्ग का

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

प्रार्थीगण द्वारा कटान मार्ग तक पहुंचने हेतु विगत पीढियों से सुचारू रूप से उपयोग में लेते आ रहे हैं। उक्त रास्ते पर आवागमन के बाबत् विप्रार्थीगण के हक पूर्वाधिकारियों ने कभी कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन समय का अन्तर आ जाने के कारण विप्रार्थीगण मौके पर विरोध पैदा करते हैं। प्रार्थीगण के आवागमन हेतु इस रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1325 से कटान मार्ग तक पहुंचने हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 1321 में से संलग्न ''परिशिष्ठ–अ'' अनुसार राजस्व रेकर्ड में कटान मार्ग अपलिखित किया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता कैलाशपुरी द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का जबाव पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खेत के बदिशा पुर्व में स्थिति खेत खसरा संख्या 1319, 1318, 1955/1332, 1956/1332 सरहद मौजा ईटवाया की माठ–माठ चालू हालत में है तथा आगे संकलेश्वर महादेव जाता है। प्रार्थीगण ने अपने खेत के बदिशा उत्तर में स्थित खसरा संख्या 1323 जो कि प्रार्थीगण के भाई केसाजी के खातेदारी का है जिसमें से होकर प्रार्थीगण आवागमन कर सकते हैं व करते हैं, लेकिन प्रार्थीगण ने अपने काकाई भाई केशाजी के खेत खसरा नम्बर 1323 में से मांग नहीं कर विप्रार्थीगण को तंग हैरान व परेशान करने की नीयत से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज है।

भूमि धारक तहसीलदार सिवाना से रिर्पोट ली गई। तहसीलदार सिवाना ने अपनी रिर्पोट क्रमांक 33 दिनांक 11.01.2018 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1321 में बिन्दु संख्या A से B व B से C तक (संलग्न परिशिष्ठ 'क' के अनुसार) मांगा गया रास्ता मौके पर बन्द पाया गया तथा मौके पर जोता हुआ है। राजस्व नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 1321 में बिन्दु संख्या A पर कटान रास्ता लगता है, जबकि मौके पर बिन्दु A से B तक खसरा नम्बर 1321 के सेडे–सेडे खसरा नम्बर 1322 में बरंग 'हरा' रास्ता चल रहा है तथा ग्रेवल सड़क बनी हुई है। प्रार्थी के कथनानुसार उनका आवागमन बिन्दु B से C तक इसी चाहे ग[illegible] जो वर्तमान में विप्रार्थीगण द्वारा बन्द कर दिया गया है। विप्रार्थीगण के कथन[illegible]सार प्रार्थीगण का रास्ता कटान रास्ते से खसरा नम्बर 1319, 1321, 131[illegible] 1955/1332, 1956/1332 में से होकर खसरा नम्बर 1325 तक है जिसको [illegible] को देखने पर खसरा नम्बर 1319 में बिन्दु संख्या D से E तक एवं खसरा नम्बर 1321 में बिन्दु संख्या F से G तक रास्ता चालू है, खसरा नम्बर 1318 में बिन्दु संख्या H से I तक रास्ता बन्द पाया गया तथा मौके पर फसल खडी है। खसरा नम्बर 1955/1332 में बिन्दु संख्या J

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.04.09 13:51:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

से K तक खेत की पश्चिमी माठ पर रास्ते हेतु भूमि छोडी हुई है लेकिन रास्ता चालू नहीं है। आगे खसरा नम्बर 1956/1332 प्रार्थी तिलोका की पत्नी के नाम दर्ज है तथा उससे आगे प्रार्थीगण का खसरा नम्बर 1325 है। खसरा नम्बर 1319, 1321, 1318, 1955/1332 में से खसरा नम्बर 1956/1332 तक (जो प्रार्थी के पत्नी के नाम दर्ज है) बिन्दु संख्या D से E, F से G, H से I व J से K तक की कुल लम्बाई 31 जरीब (310 गट्ठा) होती है जबकि खसरा नम्बर 1321 में बिन्दु संख्या A से B व B से C तक की लम्बाई 13 जरीब (130 गट्ठा) बनती है।

उक्त रिपोर्ट पर विप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा आपत्ति की जिस पर विप्रार्थीगण की आपत्तियों पर पुनः तहसीलदार सिवाना से रिपोर्ट प्राप्त की गई। पुनः तहसीलदार सिवाना ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 364 दिनांक 02.08.2019 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता खेत खसरा नम्बर 1321 में पूर्व रिर्पोट में दर्शाये अनुसार A से B व B से C तक (संलग्न परिशिष्ठ 'क' के अनुसार) मांगाया गया आज दिनांक को रास्ता मौके पर बन्द है, परन्तु पूर्व में रास्ता यही से चल रहा था जो कि दिनांक 25.12.2017 को गूगल मैप में भी दिखाई दे रहा है जिसकी लम्बा 13 जरीब (130 गट्ठा है) विप्रार्थीगण अर्जुनसिंह द्वारा बताया गया रास्ता का मौका देखने पर लम्बाई 31 जरीब (310 गट्टा) होती है। प्रार्थीगणके खेत खसरा नम्बर 1325 के लगता हुआ कोई कटान रास्ता नहीं है।

हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी एवं पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात, तहसीलदार सिवाना द्वारा दोनो मौका रिर्पोटों का गहराई से अवलोकन किया गया। तहसीलदार सिवाना की रिर्पोट अनुसार प्रस्तावित A से B व B से C ''बरंग डॉट–डॉट लाल'' रास्ता सबसे नजदीकी विकल्प है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण को कटान मार्ग से अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई विकल्प नहीं है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तावित प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि मौजा ईटवाया के खेत खसरा नम्बर 1325 के आवागमन हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 1321 में से रास्ता अपलिखित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण के आवेदन पर गंभीरता व गहनता से मनन करते हुए तथा प्रार्थीगण की अत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए तहसीलदार सिवाना की मौका रिर्पोट क्रमांक 1054 दिनांक 03.10.20[illegible] के संलग्न परिशिष्ट 'क' में दर्शाए A से B व B से C ''बरंग डॉट–डॉट लाल'' अनुसार कटान मार्ग से प्रार्थीगण की आराजी खेत खसरा संख्या 1325 ग्राम ईटवाया में आने–जाने हेतु विप्रार्थीगण की ग्राम ईटवाया के खेत खसरा नम्बर 1321 में से 13 जरीब (130 गट्ठा) रास्ते हेतु A से B व B से C ''बरंग डॉट–डॉट लाल'' संलग्न नक्शा अनुसार 'रास्ता' घोषित

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.04.09 13:51:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

किए जाने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशो के विरूद्व विप्रार्थी संख्या 1 ता 6 व 8 व 9 द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बाडमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई।

माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बाडमेर द्वारा विप्रार्थी (अपीलान्ट) का अपील स्वीकार कर उक्त आदेश को अपास्त कर सरहद मौजा इटवाया के खेत खसरा संख्या 1322 के खातेदारो को भी आवश्यक पक्षकार बनाते हुये उन्हे सुनवाई का अवसर प्रदान कर नये सिरे से आदेश परित करने का निर्देश दिये गये। जिस पर पत्रावली पुनः बरामद कर उक्त आदेश की पालना में सरहद मौजा इटवाया के खेत खसरा संख्या 1322 के खातेदारो को उक्त पत्रावली में बतौर पक्षकार 10 से 15 विप्रार्थीगण के रूप में संयोजित किया जाकर उन्हे उपस्थिति हेतु अज अदालत द्वारा नोटिस जारी किये गये । बाद नोटिस तामिल विप्रार्थी संख्या 10 से 15 की ओर से असालतन एवं वकालतनामा कोई उपस्थित नहीं हुये और न ही उनके और से किसी प्रकार का कोई उज्र एतराज ही पेश हुआ । तथा पूर्व पक्षकार 1 से 9 या उनके अधिवक्ता द्वारा ही किसी भी प्रकार की आपत्ति इत्यादि पेश नहीं की गई।

दोनो अधिवक्ताओं की बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। जिनके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र व जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराया गया । हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एंव तहसीदार सिवाना द्वारा पूर्व में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि प्रार्थीगण के खेत सरहद मौजा इटवाया पटवार मण्डल पादरू में आने जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के संलग्न दर्शाये रास्ते के अलावा कोई रास्ता वैकल्पिक रूप से रास्ता उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट दिनांक 25.12.2017 के साथ संलग्न परिशिष्ट 'क' में दर्शाये ए से बी व बी सी तक रास्ता घोषित किया जाता है। उक्त परिशिष्ट 'क' उक्त आदेश का अभिन्न अंग होगा पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.04.09 13:51:53 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

आदेश आज दिनांक 21.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना